APD

कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 304/2017-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई (के बारे में) आदेश
12.01.18	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3 –खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा जोजोसो थाना तोरपा खाता सं0 68 प्लॉट सं0 65/75 रकबा 2.80 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत राम लोहार .... पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 27.01.18 को उपस्थापित करें। 12/01/18 लेखापित एवं संशोधित — अंचल अधिकारी तोरपा	

...देश का ...क तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
18.11.2020	अभिलेख उपस्थापित, मूल पंजी II / जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। खाता सं0 68 खतियान के अनुसार मौजा [illegible] में नहीं है तथा जमाबंदी रैयत [illegible] के नाम से पंजी ii में जमाबंदी कायम नहीं है। नियमानुसार इस भूमि पर भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत् कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में खाता सं0 68 पर भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत् प्रारंभ की गयी की कार्यवाही बंद की जाती है। [signature] 18/11/2020 अंचल अधिकारी तोरपा	

Scanned by TapScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी
बोरया

विषय :- ८(म) वाद सं - 304/16-17 के सम्बंध में प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में सूचित करना है कि ८(म) वाद सं - 304/16-17 की विवरणी निम्न है।

रैयत - राम लोहार
खाता - 68
प्लॉट सं - 67/75
रकबा - 2.80 एकड़
मौजा - ओगीसोलो

आगे कहना है कि मौजा ओगीसोलो में कुल खातों की संख्या - 20 है। खाता सं - 68 मौजा ओगीसोलो में निहित नही है। एवं रैयत राम लोहार के नाम से पंजी-II में कोई भी जमाबंदी कायम नही है।

अतः उक्त वाद को खारिज करने की अनुशंसा की जाती है।

Sanjay Kumar
RSI(B).

C.I

Scanned by TapScanner